

दिनांक

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

21/5/25

पञ्जाबली पेक्षा हुई। वादी एवं वादी अधिवक्ता
अनुपस्थित। वादी एवं वादी अधिवक्ता को
नियमानुसार तीन बार आवाजें लगाई गई, परन्तु
कोई उपस्थित नहीं आया। वादी एवं वादी अधिवक्ता
को अथापहृत में पुनः एक बार आवाज लगावारी गई,
परन्तु कोई उपस्थित नहीं आया। वादी एवं वादी
अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने से वादी द्वारा
उद्धृत वाद अनसर्गित प्राबा 88, 89, 92 क एवं 188
शपथगत काश्तकारी अधिनियम को अदम हाजकी
अदम पैली में आविज किम जाता है। निधि
के इत्लास सुनाता जाया। उकी पची जारी हो।
पञ्जाबली फौजल शुमार होकर ताजिल दफ्तर हो
तथा नम्बर के कम हो।


21/5/25
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी-अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. मांगीलाल पिता त्रिलोक बाहमण उम्र वयस्क निवासी मेघरास तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. मदन लाल पिता नगजीराम जाति बाहमण उम्र वयस्क निवासी मेघरास तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. हीरालाल पिता सोला जाति बाहमण उम्र वयस्क निवासी मेघरास तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. नारायण पिता मोहन लाल जाति बाहमण उम्र वयस्क निवासी मेघरास तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. सुखी पुत्री मोहन लाल जाति बाहमण उम्र वयस्क निवासी मेघरास तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण


वाद बाबत घोषणा इन्द्राज दुरस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क एवं 188188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 11/2019 राजस्व वाद

वादी एवं वादी अधिवक्ता श्री अम्बालाल कुमावत उपस्थित- इस वाद में आज तारीख 02.05.2025 को पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है-

वादी एवं वादी अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।


25/5/25
(अरुण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा